संख्या- 103/2020/2933/71-1-2020-जी-227/2017

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 02 सितम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद-42-अन्य व्यय एवं मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/170, दिनॉक 09-07-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में मानक मद-01-वेतन में रू0 8.00 लाख की बचत को राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 5.64 लाख तथा मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 2.36 लाख कुल रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020 तथा 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-785/दस-2020, दिनॉक 31 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 103/2020/2933 (1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–83–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	वित्तीय वर्ष 2020-21			प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा–01–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज–					
01–वेतन	3400.00	8.00	8.00	8.00	**3392.00**
कुल योग–	**3400.00**	**8.00**	**8.00**	**8.00**	**3392.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा–01–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज–					
13–टेलीफोन पर व्यय	1.00	3.36	2.36	2.36	3.36
42–अन्य व्यय	20.00	25.64	5.64	5.64	25.64
कुल योग–	**21.00**	**29.00**	**8.00**	**8.00**	**29.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज ने अपने पत्र संख्या–कय/कैशियर/2020–21/3634, दिनांक 08.07.2020 द्वारा राजस्व पक्ष में मानक मद 01–वेतन में कुल रू0 8.00 लाख की बचत सम्भावित होने से अवगत कराया गया है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज ने अपने पत्र संख्या–कय/कैशियर/2020–21/3634, दिनांक 08.07.2020 द्वारा एम0सी0आई0 निरीक्षण शुल्क हेतु मानक मद 13–टेलीफोन पर व्यय तथा मानक मद 42–अन्य व्यय में कुल रू0 8.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

आर.ई.न.-4)/दस-785-ई-3/2020 दिनांक 28.08.2020

संख्या-2249/ दिनांक: 28 अगस्त, 2020

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या– 103 (1)/71–1–2020 तद्दिनॉक, दिनॉक 02 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5– कोषाधिकारी, कन्नौज।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
8– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव